न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
216/अपील/16	06.12.2016	20.11.2019

मांगीलाल, सूरजमल, सुरेश पि0 चन्दा जाति माली,
निवासी ग्राम मालीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री संजय राजवंशी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 17.06.2015 ग्राम मालीपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण रिलीजडीड दिनांक 26.05.2009 के आधार पर अपीलांटस के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 46 रकबा 09 बिस्वा, 48 रकबा 04 बिस्वा, 61 रकबा 09 बिस्वा, 109 रकबा 09 बिस्वा, 166 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, 239 रकबा 03 बिस्वा, 262 रकबा 17 बिस्वा, 266 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 268 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 453 रकबा 3 बीघा, 454 रकबा 18 बिस्वा, 455 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मालीपुरा, तहसील बून्दी में विस्थित है। जिसके सहखातेदारान् लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरीबाई, गोपाली, भूली, पन्सूरी बाई पुत्रियां भंवरीबाई जातियान माली निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा दिनांक 26.05.2009 को जरिये रजिस्टर्ड हक विलेख (रिलीजडीड) द्वारा अपीलांटस के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा रिलीज कर दिया था। उक्त रिलीजडीड के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 23.07.2009 खोला गया, जिसमें सही प्रविष्टियां की गयी और खातेदारान् के हिस्सानुसार अपीलांटस का हिस्सा 53/231 निहित किया गया। किन्तु रेस्पो. के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिलीजडीड को ही दुबारा से नामान्तरकरण में दर्ज करते हुये पुनः नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 17.06.2015 अपीलांटस के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया और उक्त खाते में अपीलांटस का हिस्सा 53/231 के स्थान पर बढकर 86/231 हिस्सा अंकित कर दिया गया है जिससे अपीलांटस की भूमि काफी ज्यादा हो गयी है, जो त्रुटिपूर्ण होने से विलोपित किया जाना आवश्यक है। अपीलांटस को इस बात की जानकारी दिनांक 09.11.16 को हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी की नकल दिये जाने के बाद हुई। तब अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 11.11.16 को प्राप्त की जाकर यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है। इसके बावजूद भी अगर अपील में देरी मानी जावे तो देरी कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र के इस अपील के साथ प्रस्तुत किया है। वैसे उक्त कार्यवाही वायड ऐबिनिश्यों होने के कारण उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं पूर्व नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 23.07.2009 के अनुसार अपीलांटस का हिस्सा 53/231 दर्ज रेकार्ड किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान द्वारा राजस्व रिकार्ड की पुनः जांच की जाकर त्रुटि पाये जाने पर रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किये जाने का नोट अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अपील का सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 17.06.15 की जानकारी दिनांक 09.11.16 को प्राप्त होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम में अंकित किया है। अपील दिनांक 01.12.16 को पेश की गई है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 23.07.2009 ग्राम मालीपुरा दिनांक 26.05.2009 को पंजीबद्ध 4 रिलीजडीडस (1) पु.सं. 1 जिल्द सं. 297, पृष्ठ सं. 172, क्रम सं. 2009001416, (2) पु.सं. 1 जिल्द सं.297, पृष्ठ सं. 173, क्रम सं. 2009001474, **(3) पु.सं. 1 जिल्द सं.297, पृष्ठ सं. 174, क्रम संख्या 2009001418** एवं (4) पु.सं. 1 जिल्द सं.297, पृष्ठ सं. 175, क्रम सं. 2009001419 के आधार पर तस्दीक किया जाकर ग्राम मालीपुरा की आराजी 25 बीघा 12 बिस्वा पर गोपाल पि. मोहना हिस्सा 1/3, सुखलाल पि.मोहना हिस्सा 1/3, मांगीलाल,सूरजमल,सुरेश पि.चन्दा हिस्सा 53/231, पार्वती बेवा नन्दलाल हिस्सा 1/77, छोटी बादाम खानी मुर्ति सरस्वती लाड पुत्रिया चन्दा हिस्सा 6/77, जगदीशी बेवा चन्दा हिस्सा 1/77 कौम माली निवासी मालीपुरा दर्ज रेकार्ड किया गया। तत्पश्चात् पुनः उक्त रिलीजडीड दिनांक 26.05.2009 **पु.सं.1 जिल्द सं.297, पृष्ठ सं. 174, क्रम संख्या 2009001418** के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 17.06.15 तस्दीक कर दिया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहवन से पुनः उसी दस्तावेज के आधार पर नामा0सं0 438 तस्दीक कर दिया गया, जिसके आधार पर पूर्व में ही नामा0सं0 426 तस्दीक किया जा चुका था। ऐसे में बाद में तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 438 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दोनों नामान्तरकरणों की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से अपीलाधीन नामान्तरकरण दोषपूर्ण प्रकट होता है, जिसको अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 438 ग्राम मालीपुरा दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.12.13 10:43:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: